न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2022/00052 (52/2022)

दूनीचन्द दत्तक पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। –अपीलान्ट

बनाम

1. मंजू पुत्री स्व0 ख्यालीराम पत्नी संदीप कुमार पुत्र रणवीर सिंह जाति जाट साकिन राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, जिला हनुमानगढ।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व आदेश दिनांक 16.03.2020 सहायक कलक्टर नोहर
प्र0 संख्या 139/2018 बअनवान दूनीचन्द बनाम मंजू आदि
श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय दिनांक – 12.12.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसमें कथन किया कि स्व0 ख्यालीराम पुत्र रेखाराम जाति जाट साकिन श्योरानी अपीलाण्ट के सगे ताउ थे। उनके कोई पुत्र संतान नहीं थी, उन्होंने हिन्दू विधि विधान व रिति रिवाज के अनुसार दत्तक ग्रहण की रश्म अदा करते हुए अपीलाट को दत्तक ग्रहण कर लिया था। स्व0 ख्यालीराम ने दिनांक 09.04.2018 को दत्तक ग्रहण विलेख

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निष्पादित करके पंजीकत करवा दिया उक्त पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख में स्व0 ख्यालीराम व अपीलाण्ट क असल पिता श्योकरण व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मंजूर के हस्ताक्षर हैं। स्व0 ख्यालीराम की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट उनकी सम्पूर्ण सम्पति का वसीयती उत्तराधिकारी है व कृषि भूमि व आवासिय भूखण्ड में 1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने के प्रयास कर रही है। इसलिए अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय में वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 मेजूदेवी ने अधीनस्थ न्यायालय मे आकर जवाब पेश किया एवं पार्थना–पत्र अस्वीकार करते हुए कथन किया कि स्व0 ख्यालराम ने अपीलाण्ट को कभी भी गोद नही लिया व दूनीचन्द के पक्ष में दिनांक 05.05.2003 या अन्य कभी भी वसीयत तहरीर नही की बल्कि दूनीचन्द ने स्व0 ख्यालीराम की सम्पति को हड़प करने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार किये हैं। विचारण न्यायाला ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया एवं दोनों पक्षों को प्रश्नगत भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये मनमाने रूप से विधिक के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है। अपीलाण्ट स्व0 ख्यालीराम का दत्तक पुत्र है एवं स्व0 ख्यालीराम ने अपनी स्वेच्छा से रोबरू गवाहान अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि व आवासीय भूखण्ड की वसीयत दिनाक 05.05.2003 को अपीलाण्ट के पक्ष में तहरीर कर दी थी। अपीलाण्ट स्व0 ख्यालीराम की सम्पूर्ण भूमि पर उनके जीवनकाल से ही काबिज है व वर्तमान में भी कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलाण्ट स्व0 ख्यालीराम का वसीयती उत्तराधिकारी होने के कारण खातेदार काश्तकार है व हक दार है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मंजू स्व0 ख्यीराम की पुत्री है व अपनी ससुराल में रह रही है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मंजू दवी लालचवश स्व0 ख्यालीराम की सम्पति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाना चाहती है। जबकि अपीलाण्ट बतौर दत्तक पत्र वसीति उत्तराधिकारी वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में ताफैसला वाद यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी परन्तु विचारण न्यायलाय ने बिना कोई पत्रावली का अवलोकन किये वसीयत में वर्णित भूमि में केवल मान रोही श्योरानी की हद तक यथास्थिति का आदेश पारित किया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय काबिल खारिजी के है। विचारण न्यायालय ने विधिक स्थिति को अनदेखा किया है। अपीलाण्ट के विरूद्ध कोई काउण्टर क्लेम अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा नही चाही गई है। वसीयत व खोलानामा को निरस्त करवाने हेतु अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 नोहर में वाद मंजू बनाम दूनीचन्द वाद 39/19 व न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर में वाद मंजू बनाम दूनी चन्द वाद संख्या 43/19 प्रसतुत हो चुके हैं। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 द्वारावसीयत में वर्णित सम्पूर्ण भूमि के संबंध में यथास्थिति का आदेश जारी हो चुका है परन्तु अधीनस्थ न्यायलाय ने उक्त आदेश को अनेदखा करके निर्णय पारित किया है। वसीयत में सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन चाहा गया जो दिया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना--पत्र की चरण संख्या 9 में वसीयत में अंकित सम्पूर्ण भूमि का अंकन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है परन्तु विचारण न्यायालय ने वसीयत में वर्णित भूमि में से केवल मात्र रोही श्योरानी की हद तक यथास्थिति का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने जवाब दावा व जाब प्रार्थना--पत्र में अपीलाण्ट को स्वर्गीय ख्यालीराम का दत्तक पुत्र होना व वसीयत होने से स्पष्ट इंकार किया है व रेस्पोडेण्ट ने विचारण न्यायलाय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध कोई काउण्टर क्लेम अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा नही चाही है। माननीय सिविल न्यायालय में वसीयत में वर्णित सम्पूर्ण भूमि के संबंध में यथास्थिति का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आदेश हो चुका है। चूंकि उभयपक्षों के मध्य प्रश्नगत भूमि के हक अधिकारों का मूल वाद विचाराधीन है जिसमें उभयपक्षों के हक अधिकारों के संबंध में दोनों पक्षों साक्ष्यों के उपरान्त ही निर्धारण किया जाना है। अपीलाण्ट के कथनों का अपील में किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया है परन्तु उभयपक्षों के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के ऐल एवं प्रश्नगत भूमि को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट को स्वीकार कर स्थगन दिया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2020 निरस्त किया जाता है एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 को पाबंद किया जाता है कि स्व0 ख्यालीराम द्वारा निस्पादित वसीयत दिनांक 05.05.2003 में वर्णित रोही श्योरानी खसरा नं. 87 की 7 बिघा खसरा नं. 99 की 1 बीघा, खसरा नं. 170/1 की 16.17 बिघा, खसरा नं. 248 की 52.09 बीघा, खसरा नं. 287 की 3.11 बिघा, खसरा नं. 268 की 14.09 बीघा, खसरा नं. 282 की 9.5 बीघा कुल 104.11 बीघा भूमि को ताफैसला वाद किसी भी तरह से रहन बेय न करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में नाजायज दखलंदाजी न करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनीयाँ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़